न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1513–पीबीआर/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 03–03–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 95/अपील/12–13.

रामगोपाल आत्मज रामदयाल
निवासी ग्राम पुरा छिंदवाड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल

..............आवेदक

विरूद्ध

1– रामदयाल आत्मज स्व. रामकिशन
2– देवी सिंह आत्मज स्व. रामकिशन
3– राम भजन आत्मज स्व. रामकिशन
निवासीगण ग्राम पुरा छिंदवाड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल
4– श्रीमती कलावती पत्नी परसराम
पुत्री स्व. रामकिशन
निवासी ग्राम भैंसाखेड़ी
तहसील हुजूर जिला भोपाल

..............अनावेदकगण

श्री सुरेन्द्र त्रिपाठी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर.एन. मालवीय, अभिषक, अनावेदक क. 1 से 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/5/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–03–2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त 1, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–6–2003 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 11–1–13 को लगभग 9 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 95/अपील/12–13 दर्ज कर प्रकरण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर तर्क हेतु नियत किया गया । प्रकरण में सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभय पक्ष के तर्क श्रवण किये जाकर दिनांक 03–03–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है कि अनावेदकगण के पिता रामकिशन ने अपने जीवनकाल में नामांतरण पंजी कमांक 52 दिनांक 30–11–2002 द्वारा आवेदक एवं अनावेदकगण के पक्ष में उक्त भूमियों सहित अन्य भूमियों को उनके नाम अंकित करवाया था, जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 10–6–2003 को स्वीकृत किया गया है, और उक्त पंजी पर अनावेदकगण के पिता एवं उभयपक्ष के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान हैं, जिससे स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी अनावेदको को प्रारंभ से रही है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा अपील प्रकरण में आवेदक के स्वामित्व की भूमि को फौतीनामांतरण के समय स्व. रामकिशन के नाम से अंकित होना बताया गया है, जो पूर्णतः अभिलेख के विपरीत है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र पूर्णतः असत्य व निराधार है, जिसमें वर्णित चरण कमांक 2 व 4 में घोर विरोधाभास है, फिर भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 10 वर्ष का विलम्ब माफ करने में विधि की गंभीर भूल की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदकगण की ओर से वादग्रस्त भूमि के स्वत्व व नामांतरण के विरूद्ध व्यवहार वाद कमांक 425 ए/2013 प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है, अतः नामांतरण आदेश की जानकारी प्रथम बार दिनांक 10–12–2012 को होना पूर्णतः असत्य है । अंत में

तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 का आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है, क्योंकि प्रस्तुत दस्तावेज इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि अनावेदकगण को नामांतरण आदेश की जानकारी दिनांक 10–6–2003 को ही हो गई थी ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है, जिस पर उन्हें फौती नामांतरण कराने का अधिकार है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा छल कपटपूर्वक वादग्रस्त भूमि का नामांतरण करवा लिया गया है, जिसकी जानकारी होने पर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, और विलम्ब की माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसे स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा बिना इस्तहार जारी किये, आवेदकगण को सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही, उनकी अनुपस्थिति में नामांतरण आदेश पारित किया गया है, इसलिए तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी तत्समय अनावेदकगण को नहीं हो सकी । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में संलग्न नामांतरण पंजी को देखने से स्पष्ट है कि नामांतरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 52 पर पहले आवेदक का नाम अंकित किया गया है । इसके अतिरिक्त अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में इस आधार पर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है कि प्रश्नाधीन भूमियां पैतृक भूमियां हैं, और उनके पिता की मृत्यु उपरांत उपरांत प्रश्नाधीन भूमियों में उनका हित निहित है, परन्तु आवेदक द्वारा छलकपटपूर्वक प्रश्नाधीन भूमियों पर अपना नामांतरण करा लिया गया है, अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, क्योंकि तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी पर पारित नामांतरण आदेश प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध प्रतीत

होती है । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–03–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर